भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1351
दिनांक 30 जुलाई, 2024/ 08 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में गुमशुदा महिलाएं

†1351. श्री बी. के. पार्थसारथीः

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में गुमशुदा और पाई गई महिलाओं की कुल संख्या आयु-वार और जिला-वार कितनी है;
(ख) क्या मंत्रालय ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई विशेष कार्य बल या जांच इकाइयां स्थापित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या गुमशुदा महिलाओं के मामलों को रोकने के लिए कोई सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम हैं; और
(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) : वर्ष 2019-2023 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में लापता और पाई गई महिलाओं (18 वर्ष से कम आयु) और वयस्क महिलाओं (18 वर्ष से अधिक आयु) का जिला-वार विवरण जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है, अनुलग्नक में दिया गया है।
(ख) से (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा महिलाओं सहित नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है तथा राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

लोक सभा अता. प्र.सं. 1351 दिनांक 30.07.2024

तथापि, गृह मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न पहलें और उपाय करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता रहा है। गृह मंत्रालय ने मौजूदा मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) को सुदृढ़ बनाने तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों को कवर करते हुए नई एएचटीयू स्थापित करने और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानव तस्करी से निपटने और उसे रोकने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में मानव तस्करी रोधी इकाइयां (एएचटीयू) स्थापित की हैं तथा राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क स्थापित किए हैं।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय समय-समय पर 'न्यायिक वार्तालाप और 'राज्य स्तरीय सम्मलेन' आयोजित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य न्यायिक और पुलिस अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें मानव तस्करी से संबंधित नवीनतम प्रावधानों के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना है।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी करता रहा है। ये एडवायजरी गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लापता तथा पाए गए अथवा बरामद किए गए बच्चों के मामलों से निपटने में पुलिस, बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड की सहायता करने के लिए "लापता बच्चों के मामलों के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)" जारी की है। इस एसओपी का उद्देश्य, लापता बच्चों के मामलों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना और संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय में कार्य करना तथा लापता बच्चों के मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करना है।

लापता बच्चों और जरूरतमंद बच्चों को संपर्क सेवाएं (आउटरीच सर्विस) प्रदान करने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक चाइल्ड हेल्पलाइन नं. 1098 संचालित कर रहा है, जो 24/7 आधार पर ऑपरेशनल है। इसके अतिरिक्त, किसी भी जरूरतमंद बच्चे को सहायता प्रदान करने के लिए बड़े रेलवे प्लेटफार्मों पर "रेलवे चाइल्ड लाइन्स" भी संचालित की जा रही हैं।

लोक सभा अता. प्र.सं. 1351 दिनांक 30.07.2024

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "ट्रैक चाइल्ड पोर्टल" भी शुरू किया है, जो लापता और पाए गए बच्चों की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत, पुलिस स्टेशनों, किशोर न्याय बोर्डों और बाल देखभाल संस्थाओं को लॉगिन प्रदान किए गए हैं, जिसमें उन्हें लापता और पाए गए बच्चों के बारे में जानकारी को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करना होता है। "ट्रैक चाइल्ड पोर्टल" का एक घटक 'खोया-पाया' है, जहां कोई भी नागरिक अधिक समय गंवाए बिना लापता बच्चों के साथ-साथ उनकी निशानदेही की सूचना दे सकता है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान, मीडिया अभियान और आउटरीच कार्यक्रम चलाती है और समय-समय पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एडवायजरी जारी करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) भी समय-समय पर हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श करता है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जा रहें हैं :-

- राज्य में संबंधित विभागों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से एएचटीयू अधिकारियों के साथ मानव तस्करी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन (ऑफलाइन और ऑनलाइन);
- महिलाओं/छात्राओं/बच्चों को यौन शोषण के प्रति जागरूक करने और उपचारात्मक उपायों के लिए प्रेरित करने संबंधी अभियान;
- महिलाओं/महिला पीड़ितों को परामर्श देना और उनकी शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना;
- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानव तस्करी रोधी, महिला एवं बाल सुरक्षा पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को राज्य की सभी पुलिस इकाइयों को सख्त कार्यान्वयन हेतु सूचित करना;
- "यौन शोषण के उद्देश्य से मानव तस्करी के मामलों की जांच हेतु" तथा "महिलाओं के प्रति अपराध" हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को तैयार करना एवं राज्य की सभी पुलिस इकाइयों को सख्त कार्यान्वयन हेतु प्रसारित करना;
- आंध्र प्रदेश पुलिस ने "विमुक्ति अभियान" के बैनर तले महिलाओं और बच्चों की तस्करी और उनके प्रति सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के खिलाफ़ एक केंद्रित अभियान शुरू किया।

****

लोक सभा अता. प्र. स. 1351 **दिनांक** 30.07.2024

अनुलग्नक

वर्ष 2019 के दौरान, लापता और बरामद (पिछले वर्षों के लापता महिलाओं सहित) महिलाओं (18 वर्ष से कम और 18 वर्ष और उससे अधिक) की जिला-वार संख्या

क्रम स.	**इकाईयों के नाम**	**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष एवं अधिक**		**कुल महिलाएं**	
		लापता	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता बालिकाओं सहित)**	**लापता**	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता महिलाओं सहित)**	**लापता**	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता महिलाओं सहित)**
1	श्रीकाकुलम	52	51	179	152	231	203
2	विजयनगरम	82	79	168	142	250	221
3	विशाखापत्तनम शहर	26	28	426	447	452	475
4	विशाखापत्तनम ग्रामीण	31	25	156	145	187	170
5	राजमुंदरी अर्बन	51	52	182	146	233	198
6	पूर्वी गोदावरी	102	100	257	236	359	336
7	पश्चिम गोदावरी	168	171	451	380	619	551
8	विजयवाड़ा सिटी	172	168	349	405	521	573
9	कृष्णा	27	26	255	239	282	265
10	गुंटूर अर्बन	46	46	247	247	293	293
11	गुंटूर ग्रामीण	113	113	327	312	440	425
12	प्रकाशम	96	93	248	236	344	329
13	नेल्लोर	111	99	234	206	345	305
14	कुरनूल	174	171	330	294	504	465
15	अनंतपुर	280	275	486	450	766	725
16	वाईएसआर कडपा	176	165	299	285	475	450
17	तिरुपति अर्बन	68	90	192	186	260	276
18	चित्तूर	151	150	168	161	319	311
19	आर पी विजयवाड़ा	2	2	10	10	12	12
20	आर पी गुंतकल	0	0	4	0	4	0
कुल		**1928**	**1904**	**4968**	**4679**	**6896**	**6583**

लोक सभा अता. प्र. स. 1351 **दिनांक** 30.07.2024

अनुलग्नक

वर्ष 2020 के दौरान, लापता और बरामद (पिछले वर्षों के लापता महिलाओं सहित) महिलाओं (18 वर्ष से कम और 18 वर्ष और उससे अधिक) की जिला-वार संख्या

क्रम स.	**इकाईयों के नाम**	**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष एवं अधिक**		**कुल महिलाएं**	
		लापता	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता बालिकाओं सहित)**	**लापता**	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता महिलाओं सहित)**	**लापता**	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता महिलाओं सहित)**
1	श्रीकाकुलम	67	55	186	165	253	220
2	विजयनगरम	35	43	175	158	210	201
3	विशाखापत्तनम शहर	54	33	377	303	431	336
4	विशाखापत्तनम ग्रामीण	60	60	139	147	199	207
5	राजमुंदरी अर्बन	61	54	145	153	206	207
6	पूर्वी गोदावरी	125	65	390	238	515	303
7	पश्चिम गोदावरी	177	186	511	555	688	741
8	विजयवाड़ा सिटी	92	96	307	291	399	387
9	कृष्णा	37	37	296	303	333	340
10	गुंटूर अर्बन	77	70	204	204	281	274
11	गुंटूर ग्रामीण	111	106	299	283	410	389
12	प्रकाशम	85	92	286	263	371	355
13	नेल्लोर	120	115	305	282	425	397
14	कुरनूल	217	207	417	398	634	605
15	अनंतपुर	284	278	585	540	869	818
16	वाईएसआर कडपा	138	149	277	287	415	436
17	तिरुपति अर्बन	87	88	149	183	236	271
18	चित्तूर	262	259	433	422	695	681
19	आर पी विजयवाड़ा	2	2	2	6	4	8
20	आर पी गुंतकल	1	2	1	11	2	13
कुल		**2092**	**1997**	**5484**	**5192**	**7576**	**7189**

लोक सभा अता. प्र. स. 1351 **दिनांक** 30.07.2024

अनुलग्नक

वर्ष 2021 के दौरान, लापता और बरामद (पिछले वर्षों के लापता महिलाओं सहित) महिलाओं (18 वर्ष से कम और 18 वर्ष और उससे अधिक) की जिला-वार संख्या

क्रम स.	**इकाईयों के नाम**	**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष एवं अधिक**		**कुल महिलाएं**	
		लापता	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता बालिकाओं सहित)**	**लापता**	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता महिलाओं सहित)**	**लापता**	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता महिलाओं सहित)**
1	श्रीकाकुलम	85	86	203	215	288	301
2	विजयनगरम	38	30	215	177	253	207
3	विशाखापत्तनम शहर	155	161	636	668	791	829
4	विशाखापत्तनम ग्रामीण	51	54	165	158	216	212
5	राजमुंदरी अर्बन	72	73	199	162	271	235
6	पूर्वी गोदावरी	191	160	502	530	693	690
7	पश्चिम गोदावरी	187	180	543	521	730	701
8	विजयवाड़ा सिटी	128	115	399	386	527	501
9	कृष्णा	32	34	314	311	346	345
10	गुंटूर अर्बन	138	131	302	303	440	434
11	गुंटूर ग्रामीण	206	199	461	445	667	644
12	प्रकाशम	198	178	377	343	575	521
13	नेल्लोर	177	174	352	345	529	519
14	कुरनूल	261	234	604	624	865	858
15	अनंतपुर	446	443	778	789	1224	1232
16	वाईएसआर कडपा	204	204	369	26	573	230
17	तिरुपति अर्बन	147	156	211	232	358	388
18	चित्तूर	265	272	462	485	727	757
19	आर पी विजयवाड़ा	0	0	9	7	9	7
20	आर पी गुंतकल	0	0	3	5	3	5
कुल		**2981**	**2884**	**7104**	**6732**	**10085**	**9616**

अनुलग्नक

वर्ष 2022 के दौरान, लापता और बरामद (पिछले वर्षों के लापता महिलाओं सहित) महिलाओं (18 वर्ष से कम और 18 वर्ष और उससे अधिक) की जिला-वार संख्या

क्रम स.	इकाईयों के नाम	18 वर्ष से कम		18 वर्ष एवं अधिक		कुल महिलाएं	
		लापता	बरामद (पिछले वर्ष के लापता बालिकाओं सहित)	लापता	बरामद (पिछले वर्ष के लापता महिलाओं सहित)	लापता	बरामद (पिछले वर्ष के लापता महिलाओं सहित)
1	श्रीकाकुलम	119	108	272	270	391	378
2	पार्वतीपुरम मन्यम	13	12	69	70	82	82
3	विजयनगरम	29	29	217	221	246	250
4	विशाखापत्तनम	100	110	415	486	515	596
5	अल्लूरी सीताराम राजू	54	45	26	27	80	72
6	अनकापल्ली	56	61	141	128	197	189
7	काकीनाडा	94	94	295	320	389	414
8	पूर्वी गोदावरी	139	152	264	285	403	437
9	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा	77	90	190	226	267	316
10	एलुरु	98	102	315	325	413	427
11	पश्चिम गोदावरी	95	89	248	219	343	308
12	एनटीआर	172	162	689	683	861	845
13	कृष्णा	85	84	283	276	368	360
14	पलनाडु	111	116	253	286	364	402
15	गुंटूर	174	173	514	485	688	658
16	बापतला	79	78	218	197	297	275
17	प्रकाशम	151	159	323	336	474	495
18	नेल्लोर	200	219	342	344	542	563
19	कुरनूल	94	185	144	444	238	629
20	नंदयाल	96	102	204	216	300	318
21	अनंतपुर	220	226	431	479	651	705
22	श्री सत्यसाईं	168	138	256	227	424	365
23	वाई एस आर कडपा	164	168	272	273	436	441
24	अन्नामय्या	135	136	157	153	292	289
25	तिरुपति	217	211	398	425	615	636
26	चित्तूर	177	172	361	358	538	530
27	आरपी विजयवाड़ा	0	0	13	10	13	10
28	आरपी गुंतकल	1	0	5	4	6	4
कुल		**3118**	**3221**	**7315**	**7773**	**10433**	**10994**

लोक सभा अता. प्र. स. 1351 **दिनांक** 30.07.2024

अनुलग्नक

वर्ष 2023 के दौरान, लापता और बरामद (पिछले वर्षों के लापता महिलाओं सहित) महिलाओं (18 वर्ष से कम और 18 वर्ष और उससे अधिक) की जिला-वार संख्या (अनंतिम आंकड़े)

क्रम स.	**इकाईयों के नाम**	**18 वर्ष से कम**		**18 वर्ष एवं अधिक**		**कुल महिलाएं**	
		लापता	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता बालिकाओं सहित)**	**लापता**	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता महिलाओं सहित)**	**लापता**	**बरामद (पिछले वर्ष के लापता महिलाओं सहित)**
1	श्रीकाकुलम	73	81	250	256	323	337
2	पार्वतीपुरम मन्यम	11	16	59	103	70	119
3	विजयनगरम	59	56	172	191	231	247
4	विशाखापत्तनम	221	188	514	436	735	624
5	अल्लूरी सीताराम राजू	14	17	24	25	38	42
6	अनकापल्ली	65	73	192	201	257	274
7	काकीनाडा	131	130	208	263	339	393
8	पूर्वी गोदावरी	133	131	232	262	365	393
9	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा	14	21	148	148	162	169
10	एलुरु	99	110	300	293	399	403
11	पश्चिम गोदावरी	86	87	32	69	118	156
12	एनटीआर	281	291	807	760	1088	1051
13	कृष्णा	49	49	268	260	317	309
14	पलनाडु	77	71	101	100	178	171
15	गुंटूर	92	91	306	296	398	387
16	बापतला	86	82	166	168	252	250
17	प्रकाशम	139	124	243	216	382	340
18	नेल्लोर	143	144	260	271	403	415
19	कुरनूल	124	123	243	232	367	355
20	नंदयाल	110	97	233	222	343	319
21	अनंतपुर	261	260	410	432	671	692
22	श्री सत्यसाईं	214	195	298	315	512	510
23	वाई एस आर कडपा	152	147	233	223	385	370
24	अन्नामय्या	91	91	145	127	236	218
25	तिरुपति	192	194	344	324	536	518
26	चित्तूर	202	201	367	361	569	562
27	आरपी विजयवाड़ा	2	2	15	10	17	12
28	आरपी गुंतकल	0	1	4	3	4	4
कुल		**3121**	**3073**	**6574**	**6567**	**9695**	**9640**